Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER ....

Year ....

Number of Case .... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of the ...
	15-3-25 पुकार पर उप. श्रीमान पो. म. के अवकाश पर रहने से पत्रावली वास्ते [illegible] आदेश O.11 R.12 CPC हेतु दिनांक 19-4-25 को पेश हो अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मकराना	
19.4.25	वकील पक्ष उपस्थित श्रीमान पी.ओ. सा. अवकाश पर होने से पत्रावली वास्ते आदेश O.11 R.12 दिनांक 22/5/25 को पेश हो अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मकराना [illegible]	
22/5/2025 O.11 R.12 बहस हुई [illegible] 22/5/2025	वकील पक्ष उपस्थित आदेश O.11 R.12 CPC प्रार्थना पत्र [illegible] हुई। [illegible] वास्ते निर्णय दिनांक 31.5.25 को पेश हो अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मकराना	
[illegible]	31-5-25 वकील पक्ष उपस्थित [illegible] हेतु [illegible] से [illegible] [illegible] वास्ते आदेश O-11 O.11 R.12 CPC दिनांक 19.7.25 को पेश हो अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मकराना	

Form No. 123

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

Order Sheet

CNR NUMBER ....

of .... at ....

Kind of the Case ....

Number of Case ..... CO 194/19 ..... Year ....

..... [illegible] ..... Versus ..... [illegible] .....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	19.7.25 [illegible] उप. [illegible] ने [illegible] पत्र हेतु [illegible] चाहा। न्यायालय में [illegible] गया। मिसल वास्ते [illegible] पत्र O11R12 CPC नियत 24.7.25 को पेश हो। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मकराना, जिला डीडवाना–कुचामन	
	24.7.25 [illegible] उप. [illegible] पत्र हेतु [illegible] निवेदन चाहा। न्यायालय में [illegible] गया। मिसल वास्ते [illegible] पत्र O11R12 CPC नियत की 31.7.25 को पेश हो। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मकराना, जिला डीडवाना–कुचामन	(आगामी पेशी पर [illegible]) [illegible]

जिला डीडवाना—कुचामन

बउनवानः—अब्दुल सलाम व अन्य बनाम सरकार

किस्मः— दीवानी मूल प्रकरण संख्याः—45 / 16 क.नं.—194 / 19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
31-07-25	वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकील वादी द्वारा दिनांक 11.01.2024 को आदेश 11 नियम 12 सपठित धारा 151 सीपीसी के पेश प्रार्थना पत्र के संबंध में बहस गत पेशी पर सुनी गई जिसका निस्तारण किया जा रहा है। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि हस्तगत वाद साक्ष्यवादी की स्टेज पर नियत है। प्रतिवादी संख्या 04 से 17 की ओर से जवाबदावा पेश करते समय फोटोप्रति दस्तावेज पेश किए है और खान नंबर 137 गुणावती रेंज मकराना 58 गुणा 200 फीट क्वारी लाईसेंस की फोटोप्रति है। प्रतिवादी ने दिनांक 01.07.39 से 30.09.48 तक की अवधि के लिए अब्दुल रहमान के नाम से जारी पटटा प्रतिवादी के पास है। दिनांक 01.04.1959 से 31.03.1960 तक की अवधि का पटटा प्रतिवादी के पिता अब्दुल हफीज के नाम जारी किया गया है। उक्त तीनो दस्तावेजात व जवाब दावे के साथ पेश फोटोप्रति दस्तावेजात के असल दस्तावेजात को न्यायालय में तलब किया जाना जरूरी है। उक्त सभी दस्तावेजात प्रतिवादी के पॉवर ऑफ पजेशन में है जिनको असल तलब किया जाना आवश्यक है अतः उक्त दस्तावेजात को प्रतिवादी संख्या 4 से 17 से तलब करने के आदेश दिए जाने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रतिवादीगण ने जवाब मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादीगण ने वादपत्र व साक्ष्य शपथ पत्र में खान	

जिला न्यायाधीश
जिला डीडवाना—कुचामन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्य...	...से जारी हु...
	संख्या 137 का पटटा अकेले अब्दुल रहमान के नाम से जारी होने का कथन किया है और सिजरा के अनुसार अब्दुल हफीज अब्दुल रहमान का इकलौता पुत्र था व प्रतिवादी संख्या 3 ता 17 अब्दुल हफीज के विधिक उत्तराधिकारी है। खान संख्या 137 के पटटेदार अब्दुल रहमान की मृत्यु पर उसके पुत्र अब्दुल हफीज के नाम नामान्तरण हुआ और बाद में पटटे को लाईसेंस में परिवर्तित कर दिया। प्रतिवादी संख्या 1 राजस्थान राज्य व प्रतिवादी संख्या 02 खनि अभियंता की ओर से प्रस्तुत जवाबदावे में अब्दुल हफीज के नाम खान की लीज जारी होने का अभिकथन है। हस्तगत वाद में उपरोक्त तीनो ही दस्तावेज स्वीकृत दस्तावेज है। अब्दुल रहमान के नाम जारी पटटा दिनांक 01.07.39 से 30.09.48 एवं अब्दुल रहमान की मृत्यु पर अब्दुल हफीज के हक में किया गया नामान्तरण पटटा दिनांक 01.04.1959 से 31.03.1960 प्रतिवादी के पास असल उपलब्ध नही है और काफी प्रयासो के बावजूद भी नही मिले है। प्रतिवादीगण द्वारा खान विभाग से प्राप्त प्रमाणित प्रतियां जवाब आवेदन के साथ प्रस्तुत है और वर्तमान असल लाईसेंस खानधारी को अपने पास रखना पडता है और समय समय पर नवीनीकरण कराना पडता है जिस कारण असल लाईसेंस न्यायालय में स्थाई रूप से प्रस्तुत नही किया जा सकता और आवश्यक होने पर असल लाईसेंस न्यायालय में प्रस्तुत कर देंगे अतः वादीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खारिज किए जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। संबंधित विधि का अध्ययन व परिशीलन किया गया।	

न्यायाधीश

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	जहां तक कि वादी अधिवक्ता ने दौराने वहस कथन किया कि अब्दुल रहमान के नाम जारी पटटा दिनांक 01.07.39 से 30.09.48 एवं अब्दुल रहमान की मृत्यु पर अब्दुल हफीज के हक में किया गया नामान्तरण पटटा दिनांक 01.04.1959 से 31.03.1960 असल व खान संख्या 137 का असल लाईसेंस प्रतिवादीगण से तलव किया जावें इस संवंध में प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने दौराने वहस कथन किया कि अब्दुल रहमान के नाम जारी पटटा दिनांक 01.07.39 से 30.09.48 एवं अब्दुल रहमान की मृत्यु पर अब्दुल हफीज के हक में किया गया नामान्तरण पटटा दिनांक 01.04.1959 से 31.03.1960 प्रतिवादीगण के पास असल उपलब्ध नही होकर प्रमाणित प्रति है और असल लाईसेंस खानधारी को हर समय साथ रखना पडता है जिसे आवश्यक होने पर पेश कर सकते है अतः वादी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें इस संवंध में न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से प्रकट है कि प्रतिवादीगण द्वारा अब्दुल रहमान के नाम जारी पटटा दिनांक 01.07.39 से 30.09.48 एवं अब्दुल रहमान की मृत्यु पर अब्दुल हफीज के हक में किया गंया नामान्तरण पटटा दिनांक 01.04.1959 से 31.03.1960 की प्रमाणित प्रति पत्रावली पर पेश की है जिनके असल दस्तावेज के संवंध में प्रतिवादीगण ने दौराने वहस कथन किया कि उक्त दोनो पटटे असल प्रतिवादीगण के पास नही है और इस संवंध में प्रतिवादी अब्दुल शकुर ने शपथ पत्र भी पेश किया है अतः ऐसी स्थिति में उक्त दोनो दस्तावेजात अब्दुल रहमान के नाम जारी पटटा व अब्दुल हफीज के नाम	

अपर जिला न्यायाधीश
मकराना, जिला डीडवाना-कुचामन

तारीख हुक्म	हुक्म या ...	इस की तामील में जारी हुए
	जारी नामान्तरण की प्रमाणित प्रति पत्रावली पर होने व उक्त दोनो ही दस्तावेजात असल प्रतिवादीगण के पास नही होने और इस संबंध मे शपथ पत्र भी प्रस्तुत हुआ, के कारण उक्त दोनो दस्तावेजात को तलब किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। साथ ही वादीगण अधिवक्ता द्वारा दौराने वहस चाहा गया उक्त खान का क्वारी लाईसेंस के संबंध में प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने कथन किया कि उक्त खान का क्वारी लाईसेंस खानधारी को हर समय पास रखना पडता है और समय समय पर नवीनीकरण करवाना पडता है, साथ ही कथन किया कि हस्तगत वाद में आवश्यकता होने पर उक्त असल क्वारी लाईसेंस न्यायालय में प्रस्तुत कर देंगे इस संबंध में प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा उक्त असल क्वारी लाईसेंस की फोटोप्रति वादीगण अधिवक्ता को उपलब्ध करवाई गई अतः ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण के कब्जाशुदा असल क्वारी लाईसेंस को तलब किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है परंतु इस संबंध में प्रतिवादीगण अधिवक्ता को निर्देश दिए जाते है कि उक्त असल क्वारी लाईसेंस को वादी को साक्ष्य के दौरान आवश्यक होने पर न्यायालय में पेश करें। अतः उपरोक्त विवेचन व तथ्यो एवं परिस्थितियो को देखते हुए वादीगण अधिवक्ता द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 11 नियम 12 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 07.08.2025 को पेश हो। अपर जिला न्यायाधीश मकराना, जिला डीडवाना-कुचामन	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	अहकाम इस की मे जारी
	जारी नामान्तरण की प्रमाणित प्रति पत्रावली पर होने व उक्त दोनो ही दस्तावेजात असल प्रतिवादीगण के पास नही होने और इस संबंध में शपथ पत्र भी प्रस्तुत हुआ, के कारण उक्त दोनो दस्तावेजात को तलब किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। साथ ही वादीगण अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस चाहा गया उक्त खान का क्वारी लाईसेंस के संबंध में प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने कथन किया कि उक्त खान का क्वारी लाईसेंस खानधारी को हर समय पास रखना पडता है और समय समय पर नवीनीकरण करवाना पडता है, साथ ही कथन किया कि हस्तगत वाद में आवश्यकता होने पर उक्त असल क्वारी लाईसेंस न्यायालय में प्रस्तुत कर देंगे इस संबंध में प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा उक्त असल क्वारी लाईसेंस की फोटोप्रति वादीगण अधिवक्ता को उपलब्ध करवाई गई अतः ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण के कब्जाशुदा असल क्वारी लाईसेंस को तलब किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है परंतु इस संबंध में प्रतिवादीगण अधिवक्ता को निर्देश दिए जाते है कि उक्त असल क्वारी लाईसेंस को वादी की मांग पर आवश्यक होने पर न्यायालय में पेश करें। अतः उपरोक्त विवेचन व तथ्यो एवं परिस्थितियो को देखते हुए वादीगण अधिवक्ता द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 11 नियम 12 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 07.08.2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर) अपर जिला न्यायाधीश मकराना, जिला डीडवाना कुचामन	

Form No. 123

(Order 24 Rule 1) (Order 32 Rule 3)

Order Sheet

CNR NUMBER ____________

Court ____________

Nature of the Case ____________

Number of Case ____________ Year ____________

____________ versus ____________

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER ....

.... Year ....

Number of Case .... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of the ...
	वादी डिगरी श्रीमती सन्तोष साक्ष्य शपथ-पत्र पेश करें। डी.ए.सी. हेतु समस्त साक्ष्य करवावें। प्रतिवादीगण भी प्रतिपरीक्षण हेतु तैयारी के साथ आवें। मिसल वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक <u>28.8.25</u> को पेश हो। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मकराना, जिला डीडवाना-कुचामन	
	<u>28.08.2025</u> वकील वादी ने साक्ष्य वादी में गवाह नम्बर PW01 उपस्थित मदन मलिक के बयान मौखिक कर दिये गये वकील प्रतिवादी ने आपत्ति होने से गवाह के बयान डेफर किये गये। वकील प्रतिवादीगण ने आपत्ति आवेदन बावत ... पेश किया जिसकी नकल दिलायी गयी। मिसल वास्ते जवाब आपत्ति प्रा.पत्र हेतु दिनांक 04-9-2025 को पेश हो। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मकराना, जिला डीडवाना-कुचामन	
4/9/2025		

Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER ....

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
[illegible]/9/2025 [illegible]	वादीगण/आवेदक। उप.। प्रतिवादीगण/आवेदक। उप.। वादीगण/आवेदक ने जवाब हेतु अवसर चाहा। वादीगण आवेदक ने जवाब प्रार्थना हेतु अवसर चाहा। आज न्यायहित में अवसर दिया जाता है आगामी पेशी से पूर्व वादी आवेदक, प्रतिवादीगण आवेदक। को प्रार्थना के जवाब की नकल उपलब्ध करावे ताकि आगामी पेशी पर बहस हो सके। प्रकरण पुनः दिनांक 11/9/2025 को पेश हो। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश [illegible] जिला डीडवाना-कुचामन	आगामी पेशी से पूर्व वादी आवेदक, प्रतिवादीगण आवेदक को प्रार्थना के जवाब दे ताकि आगामी पेशी पर बहस हो सके 11/9/2025